

**अनुदान संख्या 54 - गृह मंत्रालय का अन्य व्यय**  
**GRANT No. 54-OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित-	Charged-	2,00	. .	-2,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1353,54,00	1361,47,00	1397,68,40
पूरक	Supplementary	7,93,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			+36,21,40
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	63,79,00	111,79,00	93,56,16
पूरक	Supplementary	48,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-18,22,84
				शून्य Nil

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, 2.00 लाख रु. का विनियोग मुख्य शीर्ष "2235" - "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, यद्यपि 793.00 लाख रु. का पूरक अनुदान दिसंबर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किया गया था और 4800.00 लाख रु. की राशि अभ्यर्पित की गई थी, व्यय स्वीकृत प्रावधान से 3621.40 लाख रु. अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय 3621,40,006 रु. था)। अधिक व्यय अनुदानों की अधिक मांगों को संसद द्वारा स्वीकृत करवाकर विनियमित किया जाता है।

**Notes and comments**

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation of Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilized in one case under Major head "2235" - "Social Security and Welfare".

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, although supplementary grants of Rs.793.00 lakhs was obtained in December, 2009 and March, 2010 and an amount of Rs.4800.00 lakhs was surrendered, the expenditure exceeded the sanctioned provision by Rs.3621.40 lakhs (actual excess was Rs.3621,40,006). **The excess requires regularisation by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः-

Excess/savings occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष मुख्य शीर्ष "2056" कारागारें	Head Major Head "2056" Jails			
मू.	O.	100.00		
पू.	S.	1.00	220.00	219.00
पु.	R.	119.00		-1.00
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services			
मू.	O.	1450.00		
पु.	R.	390.00	1840.00	1777.85
				-62.15
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare			
मू.	O.	63328.00		
पु.	R.	7204.00	70532.00	86476.66
				+15944.66
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	Major Head "2245" Relief on account of Natural Calamities			
मू.	O.	32842.00		
पू.	S.	791.00	26030.80	22414.45
पु.	R.	-7602.20		-3616.35
मुख्य शीर्ष "2250" अन्य सामाजिक सेवाएं	Major Head "2250" Other Social Services			
मू.	O.	410.00		
पू.	S.	1.00	1191.00	879.25
पु.	R.	780.00		-311.75

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष मुख्य शीर्ष "3053" नागर विमानन	Head Major Head "3053" Civil Aviation			
मू.	O.	3000.00	3499.00	3499.00
पु.	R.	499.00		
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	34219.00	28029.20	24500.47
पु.	R.	-6189.80		

(I) उपर्युक्त अधिक व्यय (899.00 लाख रु.) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गया जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2056" - "अन्य व्यय - क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान" - 119.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 118.00 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2250" - "अन्य व्यय - अन्य स्कीमें" - 780.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 475.23 लाख रु. था।

(II) मुख्य शीर्ष "2070" - "अन्य व्यय - राष्ट्रीय पहचान पत्र स्कीम" - 385.14 लाख रु. का अधिक व्यय (10.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बहुदेशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र स्कीम के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(I) The excess (Rs.899.00 lakhs) occurred for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2056" - "Other Expenditure - Regional Institute of Correctional Administration" - Rs.119.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.118.00 lakhs.

(B) Major Head "2250" - "Other Expenditure - Other Schemes" - Rs.780.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.475.23 lakhs.

(II) Under Major Head "2070" - "Other Expenditure - National Identity Card Schemes" - excess of Rs.385.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for Multi purpose National Identity Card Scheme.

(III) मुख्य शीर्ष "2235" - "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम - केंद्रीय सरकार पेंशन" - 27500.94 लाख रु. का अधिक व्यय (55000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेंशन और मंहगाई भत्ते में वृद्धि की लागत को पूरा करने और स्वतंत्रता सैनिकों और उनके आश्रितों को स्वाधीनता के विभिन्न आंदोलनों के लिए पेंशन प्रदान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(IV) मुख्य शीर्ष "3053" - "हवाई सेवाएं - अन्य व्यय - उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हेलीकाप्टर सेवाओं के लिए अदायगी" - 499.00 लाख रु. का अधिक व्यय (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पवनहंस हेलीकाप्टर लिमिटेड की बकाया देयताओं का निपटान करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(V) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान" के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(का) "पुनर्वास - अन्य पुनर्वास स्कीमें - त्रिपुरा" - 1815.00 लाख रु. का अधिक व्यय (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) त्रिपुरा में राहत शिविरों में रहने वाले ब्रू प्रवासियों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और त्रिपुरा सरकार से प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(खा) "पुनर्वास - श्रीलंका से प्रत्यावर्तित लोग - राहत अनुदान" - 500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (3500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तमिलनाडु की सरकार द्वारा श्रीलंका शरणार्थियों के राहत और पुनर्वास सहायता पर किए गए खर्च के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. उपर्युक्त अधिक व्यय बचतों द्वारा निम्न अनुसार आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

(I) 1972.00 लाख रु. का प्रावधान (1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तेरह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया

(III) Under Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Swatantrata Sainik Samman Pension Schemes - Central Government Pension" - excess of Rs.27500.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.55000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to meet cost of increase in pension and dearness relief and grant of pension to the freedom fighters and their dependants on various liberation movements.

(IV) Under Major Head "3053" - "Air Services - Other Expenditure - Payment for Helicopter Services in North Eastern Region" - excess of Rs.499.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear outstanding dues of Pawan Hans Helicopter Limited.

(V) Under Major Head "3601" - "Non-Plan Grants" - excess occurred under the following heads:-

(A) "Rehabilitation - Other Rehabilitation Schemes - Tripura" - excess of Rs.1815.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for maintenance of Bru migrants staying at relief camps in Tripura and reimbursement of claims received from Government of Tripura

(B) "Rehabilitation - Repatriates from Sri Lanka - Relief Grants" - excess of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards relief and rehabilitation assistance of Sri Lankan refugees incurred by Government of Tamil Nadu.

3. The above excess was partly offset by savings as under:-

(I) Provision of Rs.1972.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh)

अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1714.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2245" - "सामान्य - प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, आपदा प्रवण क्षेत्रों में आकस्मिकता योजना" -

(क) "भूकंप जोखिम प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम" - 576.00 लाख रु. विभिन्न संस्थानों और राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण थे।

(ख) "आपदा प्रबंधन सहायता परियोजना के लिए अमेरिकी सहायता से "निर्गमन/मंजूरी" - 128.00 लाख रु. प्रशिक्षण केंद्रों के लिए उपस्करों की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्ताव का मूर्त रूप न लेने और कम विदेश दौरा किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान" -

(क) "जेल - अन्य अनुदान - कारागार प्रशासन का आधुनिकीकरण" - 500.00 लाख रु. - स्कीम के द्वितीय चरण को स्थगित किए जाने के कारण थे।

(ख) "पुनर्वास - पूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति - पुनर्वास अनुदान" - 510.00 लाख रु. - राज्य सरकारों से दावे प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2245" - "सामान्य - प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन - आपदा प्रवण क्षेत्रों में आकस्मिकता योजना - राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल" के अंतर्गत 22357.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 790.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 23147.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 5342.33 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) - राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल से कम दावे प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

remained wholly unutilized under thirteen heads; of these Rs.1714.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2245" - "General - Management of Natural Disasters, Contingency Plan in disaster prone areas" -

(a) "National Programme for Capacity Building for Earthquake Risk Management" - Rs.576.00 lakhs - due to non-receipt of utilization certificates from the various Institutes and State Governments.

(b) "Release/Sanction from USAID for Disaster Management Support Project" - Rs.128.00 lakhs - due to non-materialisation of proposal for procurement of equipment for training centers and less foreign tour undertaken.

(B) Major Head "3601" - "Non-Plan Grants"-

(a) "Jails - Other Grants - Modernisation of Prison Administration" - Rs.500.00 lakhs - due to deferment of second phase of the scheme.

(b) "Rehabilitation - Displaced persons from former East Pakistan - Rehabilitation Grants" - Rs.510.00 lakhs - due to non-receipt of claims from the State Governments.

(II) Under Major Head "2245" - "General - Management of Natural Disasters - Contingency Plan in disaster prone areas - National Disaster Response Force" - the original provision of Rs.22357.00 lakhs was augmented to Rs.23147.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.790.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.5342.33 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less claim from NDRF units and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2235" - "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य कार्यक्रम - आतंकवादी और सांप्रदायिक हिंसा पीड़ितों की सहायता संबंधी केंद्रीय योजना" के अंतर्गत 4244.00 लाख रु. की बचत (4700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2245" - "सामान्य - प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, आपदा प्रवण क्षेत्रों में आकस्मिकता योजना - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण" - 5114.00 लाख रु. की बचत (8806.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आपदा प्रबंधन पर अध्ययनों की कम संख्या होने, दिल्ली नगर निगम से मांग प्राप्त न होने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य कार्यक्रम - 1984 के दंगों में मृत्यु, चोट, सम्पत्ति को क्षति, बीमा न की गई वाणिज्यिक/औद्योगिक सम्पत्तियों को क्षति के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा" - 271.33 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "पुनर्वास - अन्य पुनर्वास स्कीमें" -

(क) "मिजोरम" - 933.80 लाख रु. की बचत (1433.80 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मिजोरम सरकार से शरणार्थियों के पुनर्वास से संबंधित कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "असम" - 608.40 लाख रु. की बचत (999.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) असम

(III) Under Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Other Programmes - Central Scheme for assistance to victims of Terrorist & Communal violence"- saving of Rs.4244.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4700.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the State Governments.

(IV) Under Major Head "2245" - "General - Management of Natural Disasters, Contingency plan in disaster prone areas - National Disaster Management Authority" - saving of Rs.5114.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8806.00 lakhs) was due to less number of studies undertaken on Disaster Management, non-receipt of demand from Municipal Corporation of Delhi, non-finalization of Detailed Project Report and economy measures.

(V) Under Major Head "3601" - "Non-Plan Grants" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Other Social Security and Welfare Programmes - other Programme - Enhanced Compensation for death, injury, damage to properties, damage to uninsured Commercial/ Industrial properties in 1984 riot" - saving of Rs.271.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the State Governments.

(B) "Rehabilitation - Other Rehabilitation Schemes" -

(a) "Mizoram" - saving of Rs.933.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1433.80 lakhs) was due to receipt of less claims towards rehabilitation of refugees from the Government of Mizoram.

(b) "Assam" - saving of Rs.608.40 lakhs (against the sanctioned provision of

सरकार से पुनर्वास स्कीमों संबंधी कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

Rs.999.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards rehabilitation schemes from Government of Assam.

(ग) “जम्मू और कश्मीर राहत और पुनर्वास” - 9000.00 लाख रु. की बचत (21000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रधानमंत्री पैकेज स्कीम पर राज्य में बनी नई सरकार द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने में विलंब होने की वजह से राज्य सरकार द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(c) “Jammu & Kashmir Relief and Rehabilitation” – saving of Rs.9000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.21000.00 lakhs) was due to less utilization of funds by State Government owing to delay in completion of formalities by the newly formed Government in State on PM’s package schemes.

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत 156.53 लाख रु. की बचतें हुई, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक किंतु 100.00 लाख रु. से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 47 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के करीब थीं।

(VI) Under two heads savings of Rs.156.53 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 47 percent and nearly 100 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (1822.84 लाख रु.) दिसंबर, 2009 में प्राप्त किए गए 4800.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 38 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थीं।

4. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.1822.84 lakhs) constituted 38 percent of the supplementary grant of Rs.4800.00 lakhs obtained in December, 2009 and 16 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष “4250” अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4250” Capital Outlay on Other Social Services	6379.00	4556.16	-1822.84

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

(I) 200.00 लाख रु. का प्रावधान “प्राकृतिक आपदा - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान” के अंतर्गत एक मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन आबंटित न किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.200.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under “Natural Calamities - National Institute of Disaster Management” – due to non-allotment of land by Delhi Development Authority.

(II) “प्राकृतिक आपदाएं” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “आपदा होने पर तीव्रतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए विशेषीकृत क्षमता का निर्माण” - 991.60 लाख रु. की बचत (1001.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय आपातकालीन संचार योजना (चरण II) को लागू करने के लिए स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) “राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल” - 631.24 लाख रु. की बचत (5178.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन प्राप्त होने में विलंब होने, पूर्तिकारों से सामान की प्राप्ति न होने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों को कम संख्या में पूरा किए जाने के कारण हुई।

(II) Under “Natural calamities” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Building up specialized capability for rapid intervention in case of disasters” – saving of Rs.991.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1001.00 lakhs) was due to non-finalisation of scheme for implementation of National Emergency Communication Plan (Phase II).

(B) “National Disaster Response Force” – saving of Rs.631.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5178.00 lakhs) was due to delay in receipt of approval of the competent authority, non-receipt of goods from suppliers and less completion of works by the Central Public Works Department.